भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4835

(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

4835. डॉ॰ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं और योजनाओं हेतु कोई धनराशि आवंटित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित कुल धनराशि कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी और बाह्य दोनों वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट मानक और नियम निर्धारित किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु को प्रदान किए गए बाह्य ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : रोजगार सृजन, आजीविकाओं के अवसरों के संवर्धन, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, सामाजिक सहायता के प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में असंरचना विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। तमिलनाडु में इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित/रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : बाह्य सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का पहले आर्थिक कार्य विभाग में एक अनुवीक्षण समिति द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है और बाद में इसे परियोजना की प्रकृति, वित्त पोषण आदेश और परियोजना के आकार के आधार पर द्विपक्षीय एजेंसी को सौंप दिया जाता है। एक बार प्रस्ताव किसी विशेष द्विपक्षीय एजेंसी को सौंप दिया जाता है, तो निधि प्रदान करने या प्रदान न करने का निर्णय उस संबंधित एजेंसी द्वारा लिया जाता है। संबंधित वित्तपोषण एजेंसी द्वारा उसके पश्चात ऋण के अनुमोदन/स्वीकृति को जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए कोई बाह्य वित्तपोषण नहीं किया गया है।

******

अनुबंध

'ग्रामीण विकास परियोजनाएं' विषय पर **लोक सभा** में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत **अतारांकित प्रश्न सं. 4835** के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को रिलीज की गई निधियां:

रु. लाख में

क्र सं.	**योजनाएं**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	**मनरेगा**	455277.91	583166.13	498193.66
2.	**पीएमजीएसवाई**	30958.00	59107.00	58900.00
3.	**डीडीयू-जीकेवाई**	2590.999	-	5291.000
4.	**आरएसईटीआई**	0.00	-	309.31
5.	**एनएसएपी**	48672.96	63219.31	63610.69
6.	**एसपीएमआरएम**	2805.00	4425.00	1620.00

मनरेगा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
पीएमजीएसवाई : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
डीडीयू-जीकेवाई : पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
आरएसईटीआई : ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान
एनएसएपी : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एसपीएमआरएम : श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत आवंटित /रिलीज की गई निधियां

(राशि लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**			**2017-18**			**2018-19**	
		कुल केन्द्रीय आवंटन	**कुल रिलीज**		**कुल केन्द्रीय आवंटन**	**कुल रिलीज**		**कुल केन्द्रीय आवंटन**	**कुल रिलीज**
			एनआरएलएम	**एनआरएलपी***		**एनआरएलएम**	**एनआरएलपी***		**एनआरएलएम**
1.	तमिल-नाडु	1797.46	1797.46	2920.50	9420.09	13907.84	995.73	13094.93	17444.53

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवंटित/रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		केन्द्रीय आवंटन	**केन्द्रीय रिलीज**	**केन्द्रीय आवंटन**	**केन्द्रीय रिलीज**	**केन्द्रीय आवंटन**	**केन्द्रीय रिलीज**
1.	तमिलनाडु	132041.910	69059.770	97504.240	84848.578	15724.800	50279.810